राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 13/परीक्षा 'ख'/लेखा/2008–2009 **दिनांक : 9–9–2008**

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 एवं राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम,1975 के अन्तर्गत लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर सीधी भर्त्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2008 के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित रिक्त पदों हेतु OMR Application Sheet पर आवदेन पत्र आमंत्रित ।

लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार
सीधी भर्त्ती संयुक्त प्रतियागी परीक्षा, 2008
(Exam Code No. : 01)

1. **रिक्त पदों का विवरण :–**

सेवा क्रम संख्या *	पद नाम		कुल रिक्त पद	राज. के अ.जा.		राज. के अ.ज.जा.		निःशक्त जन
				सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
1	लेखाकार (सभी पद बैक–लॉग के)	दि0 10.10.02 से पूर्व के	40	23		17		-
		दि0 10.10.02 से पश्चात के	28	16		12		
2	कनिष्ठ लेखाकार (सभी पद बैक–लॉग के)	दि0 10.10.02 से पूर्व के	322	72		250		-
3	तहसील राजस्व लेखाकार (सभी पद बैक–लॉग के)	दि0 10.10.02 से पूर्व के	44	19	07	13	05	1 (One Leg-LD/CP)
		दि0 10.10.02 से पश्चात के	17	07	03	05	02	

(* OMR Application Sheet के सेवा प्राथमिकता क्रम कॉलम की पूर्ति हेतु सेवा क्रम संख्या का प्रयोग करे ।)

नोट :–

1. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर से लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों में वर्गीकरण की सूचना प्राप्त हो जाने पर आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी जावेगी ।
2. उपरोक्त पदों में कमी या बढोत्तरी की जा सकती है जिसके लिए पुनः विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा ।
3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.10.2002 के अनुसार दि0 10.10.02 से पूर्व के दर्शाये गये बेक–लॉग के पदो हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा तथा दिनांक 10.10.2002 से पश्चात के दर्शाये गये बैकलॉग के पदों हेतु राज. के अजा एवं अजजा के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक यथा स्थिति राज. के अजा एवं अजजा के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। किसी भी परिस्थितियों में राज. के अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जावेगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रुप से समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए दर्शायी गई रिक्तियों में से प्रवर्गानुसार 5% आरक्षण विधवा महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा ।
5. किसी वर्ग की पात्र एवं उपर्युक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
6. उपर्युक्त रिक्त पदों में निःशक्तजन हेतु 01 पद (गतिविषयक निःशक्तता या मस्तिष्क संबंधी फाजिल) दण्डवत (Horizontal) रूप से आरक्षित हैं, अर्थात जिस वर्ग SC/ST अभ्यर्थी उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

   निःशक्तजन अभ्यर्थियों के आरक्षण के सन्दर्भ में :–

   (अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शायी गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है :–

   Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)

   O.L. – One leg affected (R or L)

   (a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

   (ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

   निशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5(4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्तजन व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नही जा सकता हो वहा ऐसी रिक्ति को 3 भर्त्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जावेगा।

(स) निःशक्तजन आवेदक O.M.R. Application Form के निर्धारित कॉलम संख्या में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते है, अपनी निःशक्तता के संबंध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों को नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

7. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा

8. पेंशन :– नये भर्त्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 1.1.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्त्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यंत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्त्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा। प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

9. वेतनमान : नियमानुसार

2. आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक –

आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र पहुंचने का अन्तिम दिनांक **7–11–2008** सायं छः बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

प्रेषण : O.M.R. Application Sheet भरने के बाद उसे दिये गये आयोग के पते लिखे लिफाफे में आयोग को भेजें । एक लिफाफे में एक ही O.M.R. Application Sheet भेजी जावें । **आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र रजिस्ट्रर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाए अथवा आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायें । आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो ।**

3. परीक्षा का माह/दिनांक एवं स्थान :–

परीक्षा **माह अप्रेल/मई, 2009** को अधोलिखित केन्द्रों पर ली जाने की सम्भावना है । आयोग यदि चाहे तो परीक्षा केन्द्रों तथा परीक्षा आयोजन के माह में परिवर्तन कर सकता है । परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आयोग द्वारा आवेदक के चुने गये परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा, अतः आयोग द्वारा स्वविवेक से अभ्यर्थी द्वारा चुने गये परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है ।

OMR Application Sheet में परीक्षा केन्द्र का कोड नं. नीचे दर्शाये अनुसार अंकित करें। यदि आवेदक द्वारा परीक्षा केन्द्र कोड की पूर्ति नहीं की जाती है अथवा गलत कोड न0 की पूर्ति की जाती है तो आयोग उसे स्वविवेक से कोई भी परीक्षा केन्द्र आंवटित कर सकता है ।

परीक्षा केन्द्र का कोड नं. :–

अजमेर – 01	भरतपुर – 02	बीकानेर – 03	जोधपुर – 04
कोटा – 05	उदयपुर – 06	जयपुर – 07	

4. परीक्षा शुल्क :–

परीक्षा हेतु श्रेणी वार परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार तय किया गया है । आवेदकों की सुविधा हेतु परीक्षा शुल्क को आवेदन पत्र के मूल्य रू. 50 के साथ सम्मिलित कर आवेदन पत्रों का विक्रय किया जा रहा है । आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन पत्र खरीद कर आवेदन करे ।

- सामान्य आवेदकों हेतु (जिसमें अ0पि0व0 क्रिमीलेयर के आवेदक व अधोवर्णित श्रेणियों से अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के आवेदक सम्मिलित हैं) – रू. 250/– का आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क रूपये 200/–. आवेदन पत्र मूल्य रू. 50/–)
- अन्य पिछडे वर्ग के नोन क्रिमीलेयर के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं हेतु रूपये 150/– का आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क रूपये 100/– आवेदन पत्र मूल्य रू. 50/–)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है रूपये 50/– का आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क मुक्त केवल आवेदन पत्र का मूल्य रू 50/–)
- निःशक्तजन श्रेणी के समस्त आवेदक (जिसमें SC/ST/OBC/General सभी श्रेणी के निःशक्त जन सम्मिलित हैं) के आवेदकों हेतु Rs. 50/– का आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क मुक्त केवल आवेदन पत्र का मूल्य रू 50/–)

5. शैक्षणिक योग्यता :–

लेखाकार के पदों हेतु :

1. आवेदक भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा तत्समान घोषित किसी विदेशी विश्वविद्यालयय की उपाधि

जो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्य हो, प्राप्त हो अथवा कॉस्ट एन्ड वर्क्स अकाउन्टेट संस्थान, कलकत्ता से इण्टरमीडिएट परीक्षा या चार्टर्ड अकाउन्टेट ऑफ इन्डिया संस्थान, नई दिल्ली से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

कनिष्ठ लेखाकार के पदों हेतु :

1. आवेदक भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा तत्समान घोषित किसी विदेशी विश्वविद्यालयय की उपाधि जो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्य हो, प्राप्त हो ।

तहसील राजस्व लेखाकार के पदों हेतु :

1. आवेदक भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि में स्नातक उपाधि अथवा आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा तत्समान घोषित किसी विदेशी विश्वविद्यालयय की उपाधि जो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्य हो, प्राप्त हो।

उपरोक्त तीनों सेवाओं के लिये :

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्त्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगा। किन्तु उसे उक्त पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

स्पष्टीकरण : नियमानुसार कला या विज्ञान की स्नातक उपाधि की सीमा में कृषि, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलोजी की उपाधियां नहीं मानी जायेगी । तहसील राजस्व लेखाकार के पद हेतु कृषि स्नातक भी पात्र होगा ।

6. **आयु** : आवेदक 1, जनवरी 2009 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि :–

1. केवल लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार के पदों हेतु लागू : अपवादीय मामलो में राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर 5 वर्ष की छूट दे सकती है ।
2. उपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में –
   (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछडे वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
   (ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
   (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
3. रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
4. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर चुके हों और इन नियमों के तहत नियुक्ति के पात्र थे के लिए ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी ।
5. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, के लिए ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा में उसके कारावास काल के बराबर छूट दी जायेगी ।
6. राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
7. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बंध में अधिष्ठायी (Substantive) सेवारत व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
8. निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ।
9. पूर्वी अफीका के देश कीनिया, तंजानिया, उगांडा एवं जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।
10. केवल लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार के पदों हेतु लागू : एन.सी.सी के कैडिट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा ।
11. केवल तहसील राजस्व लेखाकार के पदों हेतु लागू : राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
12. 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।

13. विधवाओं और विछिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी ।
स्पष्टीकरण– विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

14. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमो के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय :–

1 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
2 अ0पि0जा0 वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
3 अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

15. <u>केवल लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार के पदों हेतु लागू</u> : यदि कोई अभ्यर्थी किसी वर्ष में जिसमे ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई थी, अपनी आयु की दृष्टि से परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार रहा होता/होती, तो वह अपनी आयु की दृष्टि से ठीक बाद वाली परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार समझा जायेगा/जायेगी ।

स्पष्टीकरण :– आयोग द्वारा लेखाकार हेतु वर्ष 1992 की परीक्षा मे आयु सीमा की गणना 1–1–1993 को की गई थी अतः इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी दिनांक 1–1–1994 को आयु सीमा में थे, उन्हे आयु सीमा में समझा जायेगा । कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु वर्ष 1994 की परीक्षा मे आयु सीमा की गणना 1–1–1995 को की गई थी अतः इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी दिनांक 1–1–1996 को आयु सीमा में थे, उन्हे आयु सीमा में समझा जायेगा ।

नोट :–

(क) रिजर्विष्ट/संस्थाई आवेदक को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने के अन्तिम दिनांक तक रिजर्विष्ट/संस्थाई की श्रेणी में हों अन्यथा आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जावेगी और आवेदक को अधिकायु रहने से उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

(ख) अधिक जानकारी के लिए संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन करें।

(ग) उपरोक्त पैरा 6 के प्रावधान संख्या 1 से 14 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 14 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा । एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

7. <u>अवसर :</u> नियमानुसार लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार के पदों हेतु अभ्यर्थियों को केवल तीन अवसर देय होंगे परंतु राजस्थान के अ.जा. एवं अ.ज.जा. के आवेदकों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

8. <u>परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम</u>:–

1. उक्त परीक्षा दो चरणो में आयोजित की जावेगी । प्रथम चरण में दो अनिवार्य विषय : (क) सामान्य ज्ञान एवं दैनिक विज्ञान एवं (ख) गणित की वस्तुपरक (Objective Type) परीक्षा ली जावेगी। दो अनिवार्य विषय के प्रश्न पत्र 100–100 अंको के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। गलत उत्तर की दशा में ऋणात्मक अंकन किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिये एक अंक मिलेगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/3 अंक काटा जावेगा। किसी प्रश्न पत्र के उत्तर को खाली (Blank) छोड़ने को न तो सही, नहीं गलत उत्तर माना जावेगा।

2. द्वितीय चरण परीक्षा शेष अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिन्दी तथा पाठ्यक्रम (परिशिष्ट II) के अनुसार चुने गये तीन ऐच्छिक विषयों की लिखित परीक्षा होगी । द्वितीय चरण परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जावेगा जो प्रथम चरण परीक्षा में सफल होंगे ।

3. पाठ्यक्रम के अनुसार तहसील राजस्व लेखाकार के पदों हेतु अभ्यर्थी को चुने गये तीन ऐच्छिक विषयों में एक ऐच्छिक विषय पेपर संख्या 8 व 9 में से लेना अनिवार्य है ।

Scheme of Papers for the Combined Competitive Examination for Accountant, Junior Accountant and Tehsil Revenue Accountant

***

	COMPULSORY PAPERS	MARKS	DURATION
(a)	English & Hindi	100	Three hours
(b)	General Knowledge & Every day Science (Objective Type)	100	Three hours
(c)	Mathematics (Objective Type)	100	Three hours

Code No.	Optional Papers	Marks 100 Each	Three Hours Each
01	Book keeping and Advanced Accountancy		
02	Indian Economics and Business Methods		
03	Auditing		
04	Elements of Cost Accounting		
05	R.S.R. (Chapters II, III, IV, X, XI and XII to XXVI) and T.A. Rules.		
06	G.F. & A.R. (Chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 & 17)		

(Article 353 to 414) and Budget Manual (Chapters: - I, II, III, IV, XI and XII).

07 (a) Rajasthan Local Fund Audit Rules

(b) Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishad Rules

(c) Rajasthan Panchayat Samitis Loan Rules

(d) Rajasthan Panchayat General Rules

08 (a) Rajasthan Land Revenue Act, 1956

(b) Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Chapter IX & X)

09 (a) Rajasthan Agricultural Loans (Taccavi) Rules, 1958

(b) Rajasthan Land Revenue (Land Record) Rules, 1957

(c) District Manual including Revenue Accounts Manual, 1972

NOTE: - A candidate shall be free to choose any three papers as optional but those who opt for the post of Tehsil Revenue Accountant shall have to offer at least one of the papers from those mentioned at Serial Number 8 and 9.

STANDARD:

1. The Compulsory Papers shall be of Senior Secondary Standard except for Mathematics which shall be of Secondary Standard.
2. The Optional Papers shall be of degree standard.

QUALIFYING MARKS:

Minimum 35% marks in each of the Compulsory Papers and 40% marks in the aggregate. There would be no viva-voce test.

9. नियुक्ति के लिये अयोग्यता :–

1 किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

3 किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा ।

स्पष्टीकरणः– इस नियम के प्रयोजन हेतु ''दहेज'' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट,1961 में है (सैन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) ।

4 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहॉ बच्चो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा

5 शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है ।

6 भूतपूर्व सैनिको का आयु सीमा में छूट का लाभ लेने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है, अन्यथा लाभ देय नहीं होगा । भूतवूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा ।

7 आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करे ।

10. आवेदन कैसे करें :–

आवेदक **राजस्थान राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों के जिला रोजगार कार्यालयों से दिनांक 1–10–2008** से आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये OMR Application Sheet नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन कर सकते है ।

आवेदन पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें । इस सम्बन्ध में विज्ञापन के बिन्दु संख्या 4–परीक्षा शुल्क का आवश्यक रूप से अवलोकन करें ।

आवेदकों की सुविधा हेतु जयपुर जिला मुख्यालय पर आवेदन पत्र निम्न स्थानों से विक्रय किये जायेंगे :–

1. प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, राम मन्दिर, जयपुर
2. विश्वविद्यालय परिसर रोजगार कार्यालय, जयपुर
3. महिला रोजगार कार्यालय , जयपुर (केवल महिलाओं को आवेदन पत्र विक्रय हेतु)

<u>कृपया ध्यान दें :</u>

- आवेदक श्रेणी वार तय किये गये आवेदन पत्र के अनुसार अपनी श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर ही आवेदन करें । गलत श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र आयोग द्वारा रदद् कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- आवेदक O.M.R. Application Sheet के □ कॉलम व o गोले भरने हेतु **<u>केवल नीले बाल पेन का प्रयोग करें</u>** ।
- O.M.R. Application Sheet के गोलें में भरी गई सूचना ही कम्प्यूटर द्वारा पढ़ी जाएगी अतः आयोग को आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बॉक्स □ में की गई प्रविष्टियॉ एवं नीचे भरे गये गोले O एक समान है । **<u>केवल चौकोर □ खाने में भरी गई सूचना को कम्प्यूटर द्वारा नहीं पढ़ा जायेगा । गोलें और बॉक्स के कॉलम में की गई प्रविष्टियों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा/या केवल गोलें में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा ।</u>** आवेदक यह ध्यान रखे कि उसके द्वारा O.M.R. Application Sheet में भरी सूचना के आधार पर ही उसकी पात्रता की जांच आयोग द्वारा की जाएगी । आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात O.M.R. Application Sheet में की गई प्रविष्टियों में बाद में किसी भी परिवर्धन/परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा ।यदि आवेदक उसके द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर अपात्र पाया जाता है तो परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । O.M.R. Application Sheet के किसी भी संगत (relevant) कॉलम को खाली नहीं छोडें । अधूरा भरा O.M.R. Sheet आवेदन अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।
- OMR Application Sheet आवेदन अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा । आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है ।
- विस्तृत लिखित आवेदन पत्र आयोग द्वारा परीक्षा का परीणाम धोषणा उपरांत यथा समय भरावाये जायेंगे ।

नोट :–

1. आवेदक इस परीक्षा के सेवा नियम ''राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963'' एवं ''राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975'' का अध्ययन कर लें । नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रदद की जा सकती है ।
2. <u>अनुचित साधनों की रोकथाम</u> :– परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है । अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेब साईट पर दी गई है ।
3. आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा । परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियॉ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं । आयोग द्वारा उम्मीद्वार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग, अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है । जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।

आवेदकों की सुविधा हेतु पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित किया जा रहा है एवं आयोग की वैब साइट http://www.rpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

विशेष :– परीक्षा का पाठ्यक्रम विक्रय किये जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को आयोग द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है । यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम खरीदेगा तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।

11. <u>आयोग की वेबसाइट</u> :–

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है । इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 0145–2627696 – 2627080 पर सम्पर्क किया जा सकता है । समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर–305026 को सम्बोधित किया जाये ।

सचिव